



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2019/आश्विन 5, 1941

No. 306]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2019/ASVINA 5, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2019

सं. 36 / 2015-2020

**विषय :** स्कोमेट मदों की मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु प्रक्रिया को अधिसूचित करने के लिए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक में दिए गए पैरा 2.79ग में संशोधन।

फा. सं. 01/91/180/18/एम-17/ईसी.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के पैरा 2.79ग में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं।

2. (i) विदेश से आयातित मद (मदों) की मरम्मत/प्रतिस्थापन और उनकी वापसी (ii) स्वदेशी स्कोमेट मदों की मरम्मत/प्रतिस्थापन (iii) भारत में आयातित मदों की मरम्मत और वापसी करने हेतु स्कोमेट मदों के निर्यात से संबंधित पैरा 2.79ग को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**“पैरा 2.79ग स्कोमेट मदों की मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु प्राधिकार पत्र जारी करना**

**क. मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु आयातित स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र:**

**i. पूरी की जाने वाली शर्तें:**

- स्कोमेट मदें भारत में आयात की गई हों और जिन्हें दोषपूर्ण पाए जाए पर, मरम्मत और प्रतिस्थापन के उद्देश्य से निर्यात किया जाना है;
- स्कोमेट मद (मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देशनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है;
- स्कोमेट मदों का उसी कंपनी जहां से उनका आयात किया गया है अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण<sup>1</sup> सहित) को निर्यात किया जाना चाहिए;

<sup>1</sup>अभिकरण में अनुमोदित मरम्मत केन्द्र (लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात की जा रही वस्तुओं की मरम्मत हेतु मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) द्वारा अनुमोदित सुविधा) को शामिल हो सकते हैं।

- (घ) यदि प्रारंभिक निर्यात प्राधिकार पत्र को निर्यातक देश द्वारा निलंबित, संशोधित अथवा निरस्त किया गया है तो कोई निर्यात प्राधिकार—पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा
- (ड.) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत गंतव्यों अथवा समय—समय पर आईएमडब्ल्यूजी द्वारा यथा आकलित उच्च जोखिम वाले देशों/कंपनियों हेतु कोई निर्यात प्राधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (च) वास्तविक उपयोग और वास्तविक उपयोग प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

## ii. अपेक्षित दस्तावेज:

### 1. मद (मदों) के आयात का प्रमाण

- क. प्रविष्टि बिल जिसमें मरम्मत/प्रतिस्थापित की जाने वाली मदों का विवरण हो;
- ख. भारत में मदों के मूल आयात के लिए विदेशी राष्ट्र द्वारा जारी निर्यात लाइसेंस (यदि लागू हो);
- ग. दस्तावेजी प्रमाण और/अथवा स्व घोषणा जिसमें उल्लेख हो कि भारत में मद को लाइसेंस की आवश्यकता से छूट दी गई है या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होने के तहत रखा गया है।

### 2. दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मदों के प्रतिस्थापन अथवा मरम्मत हेतु दायित्व का प्रमाण :

लागू दस्तावेज (दस्तावेजों) में से कोई

- क. आपूर्तिकर्ता/ओईएम (ओईएम द्वारा अधिकृत अभिकरण सहित) के साथ संविदात्मक करार; अथवा
- ख. आयात की शर्तों सहित क्रय आदेश; अथवा
- ग. क्षतिग्रस्त/दोषपूर्ण मदों के प्रतिस्थापन/मरम्मत की वारंटी नीति/शर्त;

### 3. आवेदक फर्म से वचनबद्धता:—

आवेदक निर्यातक से वचनबद्धता (कंपनी के पत्र शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मोहरयुक्त) जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो:

- क. मरम्मत के बाद निर्यात की जाने वाली आयातित मदों का उनकी स्कोमेट श्रेणी/उप श्रेणी संख्या (संख्याओं) मात्रा, मद विवरण और विदेशी राष्ट्र के ईसीसीएन सहित ब्यौरा;
- ख. मद (मदों) का प्रतिस्थापन/मरम्मत के लिए जहां से आयात किया गया था अथवा मूल उपकरण विनिर्माता (मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत एजेंसी सहित) उसी कम्पनी को निर्यात किया जा रहा है।
- ग. यह कि आयात के पश्चात मद (मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देशन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है;
- घ. यह कि दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मदों (जो भी लागू हो) का प्रतिस्थापन या मरम्मत आयात की शर्तों या संविदात्मक करार के तहत अनुमत है;
- ड. यह कि दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मद (मदों) को इसकी मरम्मत/प्रतिस्थापन के बाद निर्यात के 90 दिनों के भीतर भारत में वापस लाया जाएगा;
- च. यह कि यदि दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मद (मदों) का किसी भी कारण (मरम्मत न किए जाने, परीक्षण विफलता विश्लेषण आदि) का आयात नहीं किया जा सकता है, तो निर्यात के 90 दिनों के भीतर आयातक देश में विध्वंस का प्रमाण डीजीएफटी में प्रस्तुत किया जाएगा।
- छ. यह कि, यदि पुनः आयात से पहले आयातित दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मद (मदों) की मरम्मत हेतु 90 दिनों के बाद की अवधि की आवश्यकता है, तो समय—सीमा बढ़ाने की मांग करने हेतु पहले ही विस्तृत औचित्य को दर्शाते हुए डीजीएफटी से अग्रिम अनुमति प्राप्त करनी होगी।

iii. कंपनी जहां से इसे आयात किया गया था अथवा मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) (ओईएम द्वारा प्राधिकृत एजेंसी सहित) को निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईएमडब्ल्यूजी सदस्यों के परामर्श के बिना अनुमोदित किया जाएगा। तथापि, ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत एजेंसी सहित) से भिन्न किसी कम्पनी को निर्यात के मामलों में अनुमोदन अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा उस विदेशी कम्पनी जिसे निर्यात किया जाना है, के प्रत्यय—पत्रों के सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

## ख. स्वदेशी स्कोमेट मदों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के बाद पुनः निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र:

### i. पूरी की जाने वाली भातें:

- (क) भारत में विनिर्मित स्कोमेट मदों का निर्यात किया गया था और दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त पाए जाने पर मरम्मत या प्रतिस्थापन हेतु भारत में वापस लाया गया था;

- (ख) मरम्मत/प्रतिस्थापन के बाद मदों का पुनः निर्यात उसी कंपनी को किया जाना चाहिए जिसे आवेदक निर्यातक द्वारा मद (मदों) का मूलतः निर्यात किया गया था;
- (ग) स्कोमेट मद (मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देशनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है;
- (घ) यह कि दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मद (मदों) को पहले ही भारत में वापस लाया गया है अथवा इनके प्रतिस्थापन (यदि लागू हो) के 90 दिनों के अंदर वापस लाया जाएगा।
- (ङ) यदि मूल लाइसेंस को निलंबित, संशोधित अथवा निरस्त किया गया है तो पुनः निर्यात हेतु कोई प्राधिकार-पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा
- (च) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत गंतव्यों अथवा समय-समय पर आईएमडब्ल्यूजी द्वारा यथा आकलित उच्च जोखिम वाले देशों/कंपनियों हेतु कोई निर्यात प्राधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (छ) वास्तविक उपयोग और वास्तविक उपयोग प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

## ii. अपेक्षित दस्तावेज:

### 1. मद (मदों) के मूल निर्यात का प्रमाण

- क. प्रतिस्थापित/मरम्मत की जाने वाली मदों के निर्यात हेतु जारी स्कोमेट लाइसेंस की प्रति;
- ख. शिपिंग बिल जिनमें इन मदों के प्रारंभिक निर्यात का विवरण दिया गया है;
- ग. प्रविष्टि बिल जिसमें प्रतिस्थापन अथवा मरम्मत हेतु आयातित मदों का विवरण दिया गया हो;

### 2. दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मदों के प्रतिस्थापन अथवा मरम्मत हेतु दायित्व का प्रमाण :

विदेशी क्रेता से विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मोहरयुक्त उसके पत्र शीर्ष पर जिसमें निर्यात की जाने वाली मद (मदों) की मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए मांग की गई हो तथा उसके कारण बताए गए हों एवं लागू दस्तावेज (दस्तावेजों) में कोई एक दस्तावेज;

- क. भारतीय निर्यातक/ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) का विदेशी क्रेता के साथ संविदा करार; अथवा;
- ख. क्रय आदेश जिसमें बदले जाने/मरम्मत संबंधी शर्तें हों;
- ग. दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मदों के प्रतिस्थापन/मरम्मत पर वारंटी नीति/शर्तें;

### 3. आवेदक फर्म से वचनबद्धता:

आवेदक निर्यातक की (फर्म के पत्र शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मोहरयुक्त) वचनबद्धता जिसमें कहा गया हो कि:

- क. स्कोमेट श्रेणी/उप श्रेणी संख्या (संख्याओं) के साथ प्रतिस्थापन के रूप में या मरम्मत के बाद निर्यात की जाने वाली मदों का विवरण;
- ख. यह कि मरम्मत (यदि आयातित और मरम्मत की गई हो) के बाद मद (मदों) की मूल विशेषताओं और विनिर्देशनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है या प्रतिस्थापित की जा रही मद (मदों) का समान विनिर्देशन है;
- ग. यह कि मरम्मत के बाद या प्रतिस्थापन के रूप में (यथा लागू) उन्हें उसी कंपनी (अन्तिम वास्तविक प्रयोक्ता) को निर्यात किया जा रहा है जिसे पूर्व में निर्यात किया गया था;
- घ. यह कि प्रतिस्थापन या मरम्मत (इसमें से जो भी लागू हो) निर्यात या क्रय आदेश या संविदात्मक समझौता की शर्तों के अधीन अनुमत है;
- ङ. यह कि दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मद (मदों) को पहले ही वापस लाया गया है अथवा इसके प्रतिस्थापन (प्रतिस्थापन के मामले में) के 90 दिनों के भीतर भारत में वापस लाया जाएगा;
- च. यह कि यदि दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मद (मदों) का किसी भी कारण (मरम्मत न किए जाने योग्य होने, परीक्षण विश्लेषण में विफल होना इत्यादि) से आयात नहीं किया जा सकता है, तो प्रतिस्थापन के निर्यात के 90 दिनों के भीतर आयातक देश में विध्वंस किए जाने का प्रमाण डीजीएफटी में प्रस्तुत किया जाएगा।

- iii. मूल स्कोमेट लाइसेंस में यथा विनिर्दिष्ट एक ही कम्पनी (कम्पनियों) को/से प्रतिस्थापित/मरम्मत की गई मद (मदों) के निर्यात हेतु प्राधिकार पत्रों के लिए आवेदन आईएमडब्ल्यूजी सदस्यों के साथ परामर्श किए बिना आईएमडब्ल्यूजी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। तथापि, नई कम्पनी (प्रेषिती) के माध्यम से निर्यात के मामले में नई विदेशी कम्पनी (कम्पनियों) जिसके माध्यम से मद (मदों) का निर्यात किया जाना है, के प्रत्यय पत्र के सत्यापन के बाद अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा।

**ग. भारत में मरम्मत के बाद आयतित स्कोमेट मदों को विदेश में उसी कंपनी अथवा किसी प्राधिकृत कंपनी को निर्यात करने हेतु प्राधिकार-पत्र:**

**i. पूरी की जाने वाली शर्त:**

(क) स्कोमेट मदों को संविदात्मक करार/मास्टर सर्विस करार (एमएसए) के अंतर्गत मरम्मत के प्रयोजन हेतु भारत में निर्दिष्ट/प्राधिकृत मरम्मत सुविधा को आयात किया गया था; अथवा

भारतीय निर्यातक, मरम्मत सुविधा कंपनी (यदि निर्यातक से भिन्न हो) तथा विदेशी कंपनी के बीच एक संविदात्मक करार जिसमें भारत में मरम्मत करने की शर्तों सहित कार्य का विवरण (एसओडब्ल्यू)/'कार्यक्षेत्र' निर्धारित किया गया हो, के तहत आयातित;

(ख) मदों को उसी विदेशी कंपनी जिससे मद (मदों) का आयात किया गया है अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण<sup>2</sup> सहित) को निर्यात किया जाना चाहिए;

(ग) मरम्मत के बाद मद (मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देशनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है;

(घ) यदि आयातकर्ता देश द्वारा प्रारंभिक निर्यात प्राधिकार पत्र निर्लंबित, संशोधित अथवा निरस्त किया गया हो तो कोई निर्यात प्राधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ङ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत गंतव्यों अथवा समय-समय पर आईएमडब्ल्यूजी द्वारा यथा आकलित अधिक जोखिम वाले देशों/कंपनियों हेतु कोई निर्यात प्राधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।

(च) वास्तविक उपयोग और वास्तविक उपयोग प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

**ii. अपेक्षित दस्तावेज:**

**1. मद (मदों) के आयात का प्रमाण:**

क. प्रविष्टि बिल जिसमें मरम्मत की जाने वाली मदों का विवरण हो;

ख. भारत में मदों के मूल आयात हेतु विदेशी राष्ट्र द्वारा जारी किया गया निर्यात लाइसेंस (यदि लागू हो);

ग. दस्तावेजी प्रमाण और/अथवा स्व घोषणा जिसमें उल्लेख हो कि भारत में मद को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है अथवा लाइसेंस से छूट प्राप्त है।

**2. दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मदों की मरम्मत हेतु दायित्व का प्रमाण :**

भारतीय निर्यातक और मरम्मत सुविधा देने वाली कंपनी (यदि निर्यातक से भिन्न हो) और विदेशी कंपनी/ओईएम/ओईएम द्वारा अधिकृत अभिकरण सहित) के बीच संविदात्मक करार और/अथवा कार्य का विवरण (एसओडब्ल्यू)/मास्टर सेवा करार (एमएसए) जिनमें भारत में मरम्मत करने की शर्तों को निर्धारित किया गया हो।

**3. भारतीय निर्यातक से वचनबद्धता:**

आवेदक निर्यातक से वचनबद्धता (कंपनी के पत्र शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मोहरयुक्त) जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो:

क. मरम्मत के बाद निर्यात की जाने वाली आयातित मदों का स्कोमेट श्रेणी/उप श्रेणी संख्या (संख्याओं) मात्रा, मद विवरण और विदेशी राष्ट्र के ईसीसीएन सहित ब्यौरा;

ख. यह कि मद (मदों) का निर्यात उसी कंपनी अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को किया जा रहा है जहां से इसका मूल रूप से मरम्मत और वापसी प्रयोजन के लिए आयात किया गया था;

ग. यह कि आयात के पश्चात् मद (मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देशनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है;

घ. यह कि दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मदों की मरम्मत भारतीय निर्यातक, मरम्मत सुविधा देने वाली कंपनी (यदि निर्यातक से भिन्न है) और विदेशी कंपनी/मूल उपकरण विनिर्माता (मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत एजेंसी सहित) (नाम और पता) के बीच आयात और संविदात्मक करार की शर्तों के तहत अनुमत है;

**iii.** कंपनी जहां से इसे आयात किया गया था अथवा मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) (ओईएम द्वारा प्राधिकृत एजेंसी सहित) को निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईएमडब्ल्यूजी सदस्यों के परामर्श के बिना अनुमोदित किया जाएगा। तथापि, ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत एजेंसी सहित) से भिन्न किसी कम्पनी को निर्यात के मामलों में अनुमोदन अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा उस विदेशी कम्पनी जिसे निर्यात किया जाना है, के प्रत्यय-पत्रों के सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

**iv.** <sup>2</sup>अभिकरण में 'अनुमोदित मरम्मत केन्द्र' (लाइसेंस के अंतर्गत निर्यात की जा रही वस्तुओं की मरम्मत हेतु मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) द्वारा अनुमोदित सुविधा) को शामिल हो सकते हैं।

3. इस तरह के सभी प्राधिकार पत्र कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन की पुष्टि के लिए आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष इसकी आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे।

4. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:**

विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.79ग में देश में स्थापित मरम्मत सुविधा केन्द्रों में मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु आयातिक स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए संशोधन किया गया है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi the 27th September, 2019

No. 36/2015-2020

**Subject:- Amendment in Paragraph 2.79C in the Handbook of Procedures of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 to notify the procedure for repair/replacement of SCOMET items.**

**F. No. 01/91/180/18/AM-17/EC.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes amendment in Paragraph 2.79C of Handbook of Procedures (HBP) of FTP 2015-20, with immediate effect.

2. Para 2.79C relating to export of SCOMET items for (i) repair/replacement of imported item(s) abroad and return (ii) repair/replacement of indigenous SCOMET items (iii) repair of imported items in India and return, will be substituted as under:

**“Para 2.79 C Issue of authorizations for repair/replacement of SCOMET items**

**A. Authorization for export of imported SCOMET items for repair/replacement:**

**i. Conditions to be fulfilled:**

- (a) The SCOMET items were imported to India and are to be exported for the purpose of repair and replacement, on being defective;
- (b) There has been no change to the original characteristics/specifications of the SCOMET item(s);
- (c) The SCOMET items are to be exported to the same entity from which they have been imported or to the OEM (including, agency<sup>1</sup> authorized by OEM) ;
- (d) No Export Authorisation would be granted if the initial export authorisation has been suspended, modified or revoked by the exporting country;
- (e) No Export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time; and
- (f) No ‘End Use’ and ‘End Use Certificate’ would be required.

**ii. Documents required:**

**1. Proof of import of the item(s):**

- a. Bill of entry containing details of the items to be repaired/replaced;

<sup>1</sup> Agency can include ‘Approved Repair Centre’ (facility approved by the original equipment manufacturer to repair the goods being exported under license).

- b. Export License(if applicable) issued by the foreign country for original import of the items to India;
- c. Documentary proof and/or self declaration that the item exempted from license requirement or placed under no license requirement for India.

2. **Proof of obligation for replacement or repair of defective/damaged items:**

Any of the applicable document(s):

- a. Contract agreement with the supplier/OEM (including agency authorized by OEM);or
- b. Purchase order containing terms of import; or
- c. Warranty policy/conditions on replacement/repair of defective/damaged items;

3. **An Undertaking from the applicant firm:**

An Undertaking from the applicant exporter (on the letter head of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory) stating:

- a. Details of imported items to be exported after repair alongwith their SCOMET Category /Sub-category number(s), quantity, item description and ECCN of foreign country;
- a. That item (s) are being exported to the entity from which it was imported or to the OEM (including agency authorized by OEM) (whichever is applicable) for replacement/ repair;
- b. That there has been no change to the original characteristics/specifications of the item(s) after import;
- c. That the replacement or repair of defective/damaged items (whichever is applicable) is allowed under the conditions of import or contractual agreement;
- d. That the defective/damaged item(s) after repair/replacement shall be brought back to India within 90 days of its export;
- e. That, in case the defective/damaged item(s)cannot be imported due to any reason (beyond repair, testing failure analysis etc.), evidence of destruction in the importing country shall be submitted to DGFT within 90 days of export.
- f. That, in case time beyond 90 days is required for repair of imported defective/damaged item(s) before re-import, permission from DGFT shall have to be obtained in advance indicating detailed justification for seeking extension of time.

- iii. Applications for grant of authorizations for export to the entity from which it was imported or to the OEM (including agency authorized by OEM) shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members. However, in cases of export to an entity other than the OEM (including agency authorized by OEM), approval will be granted by Chairman, IMWG after verification of the credentials of the foreign entity to which the item(s) are to be exported.

**B. Authorization for re-export of indigenous SCOMET items after repair/replacement:**

**i. Conditions to be fulfilled:**

- (a) The SCOMET items manufactured in India, were exported and brought back to India for repair or being replaced, on being found defective/damaged;
- (b) The items are to be re-exported after repair/replacement to the same entity to which the item(s) were originally exported by the applicant exporter;
- (c) There has been no change to the original characteristics/specifications of SCOMET item(s);

- (d) That the defective/damaged item(s) has/have already been brought back or would be brought back to India within 90 days of its replacement (if applicable);
- (e) No authorization for re-export would be granted if the original licence has been suspended, modified or revoked.
- (f) No Export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time; and
- (g) No 'End Use' and 'End Use Certificate' would be required;

## ii. Documents Required

### 1. Proof of the original export of the item(s):

- a. Copy of the SCOMET License issued for the export of the items to be replaced/repared;
- b. Shipping bills containing the details of the initial export of these items;
- c. Bill of Entry containing details of the items imported for replacement or repair;

### 2. Proof of obligation for replacement or repair of defective/damaged items:

Letter from the foreign buyer on its letter head, duly signed and stamped, raising the demand for the repair or replacement of the item(s) to be exported and the reason thereof and any of the applicable document(s):

- a. Contract agreement of the Indian exporter/OEM(including agency authorized by OEM) with the foreign buyer; **or**
- b. Purchase order containing terms of replacement/repair; **or**
- c. Warranty policy/conditions on replacement/repair of defective/ damaged items;

### 3. An Undertaking from the applicant firm:

An Undertaking from the applicant exporter (on the letter head of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory) stating:

- a. Details of items to be exported as replacement or after repair alongwith their SCOMET Category /Sub-category number(s);
- b. That there has been no change to the original characteristics/specifications of the item(s) after repair (if imported and repaired) or is of the same specifications as of the item(s) being replaced;
- c. That they are being exported to the same entity (ultimate end user) after repair or as replacement (as applicable) to which it was exported earlier;
- d. That replacement/repair(whichever is applicable) is allowed under the conditions of export or purchase order or contractual agreement;
- e. That the defective/damaged item(s) has/have already been brought back or would be brought back to India within 90 days of its replacement (in case of replacement);
- f. That, in case the defective/damaged item(s) cannot be imported due to any reason (beyond repair, testing failure analysis etc.), evidence of destruction in the importing country shall be submitted to DGFT within 90 days of export of replacement.

- iii. Applications for grant of authorizations to export the replaced/repared item(s) to/through the same entity (ies), as specified in the original SCOMET license, shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members. However, in cases of export through a new entity (consignee), approval will be granted by Chairman, IMWG after

verification of the credentials of the new foreign entity (ies) through which the item(s) are to be exported.

**C. Authorization for export of imported SCOMET items to same entity abroad, or any authorised entity after repair in India:**

**i. Conditions to be fulfilled:**

- (a) The SCOMET items were imported to a designated/authorized repair facility in India for the purpose of repair under a contract agreement/Master Service agreement (MSA); *or*  
Imported under a contract agreement between Indian exporter, entities of repair facility (if different from exporter) and entity abroad defining 'Statement of Work (SOW)'/ 'Scope of Work' including conditions for undertaking repair in India;
- (b) The items are to be exported to the same entity abroad from which the item(s) has/have been imported or to the OEM (including agency<sup>2</sup> authorised by OEM);
- (c) There has been no change to the original characteristics/specifications of the SCOMET item(s) after repair;
- (d) No Export Authorisation would be granted when the initial export authorisation has been suspended, modified or revoked by country of import;
- (e) No Export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time;
- (f) No details of 'End Use' and 'End Use Certificate' would be required;

**ii. Documents Required**

**1. Proof of import of the item(s):**

- a. Bill of entry containing details of the items to be repaired;
- b. Export License (if applicable) issued by the foreign country for original import of the items to India;
- c. Documentary proof and/or self declaration that the item exempted from license requirement or place under no license requirement for India.

**2. Proof of obligation for repair of defective/damaged items:**

Contract agreement and/or 'Statement of Work (SOW)'/ Master Service agreement (MSA) between Indian exporter and entities of repair facility (if different from exporter) with the entity abroad /OEM (including agency authorized by OEM) defining conditions for undertaking repair in India.

**3. An Undertaking from the Indian exporter:**

An Undertaking from the applicant exporter (on the letter head of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory) stating:

- a. Details of imported items to be exported after repair alongwith their SCOMET Category /Sub-category number(s), quantity, item description and ECCN of foreign country;
- b. That item(s) are being exported to the same entity from which it was originally imported for repair and return purpose or to the OEM (including agency authorized by OEM);

<sup>2</sup> Agency can include 'Approved Repair Centre' (facility approved by the original equipment manufacturer to repair the goods being exported under license).



- c. That there has been no change to the original characteristics/specifications of the item(s) after import;
  - d. That the repair of defective/damaged items is allowed under the conditions of import or contractual agreement between Indian exporter, entities of repair facility (if different from exporter) and the entity abroad /OEM (including agency authorized by OEM) (name and address);
- iii. Applications for grant of authorizations for export to the entity from which it was imported or to the OEM (including agency authorized by OEM) shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members. However, in cases of export to an entity other than the OEM (including agency authorized by OEM), approval will be granted by Chairman, IMWG after verification of the credentials of the foreign entity to which the item(s) are to be exported.
3. All such authorizations shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for confirmation of approval, on ex-post facto basis.

4. **Effect of this Public Notice:**

Paragraph 2.79C of Handbook of Procedures of FTP 2015-20 has been amended to lay down the procedure for export of SCOMET items imported for repair / replacement in the repair facilities set up in the country.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Secy.